# न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

## पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 013/2021 (रा.अ.) (GCMS 2021/368) | 28.07.2021 | 26.09.2023 |

**अनवान**

1. लालचन्द पिता भेरा जाति नायक आयु 57 साल निवासी अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।
2. डालचन्द पिता भेरा जाति नायक आयु 55 साल निवासी अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।

**अपीलार्थीगण**

**बनाम**

1. बाबू लाल पिता मोतीलाल चारण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।
2. हीरालाल पिता भंवरलाल धाकड आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।

**प्रत्यर्थीगण**

**अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश श्री तहसीलदार निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 01/2020 आवेदन अंतर्गत धारा 183 (बी ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 25.06.2021**

उपस्थिति :– केजी व्यास — अपीलार्थी
बीआर धाकड — प्रत्यर्थी

## –:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा बमिसल कमांक 001/2020 प्रार्थना–पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.06.2021 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अरनिया जोशी पटवार हल्का अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ की कृषि भूमि आराजी नम्बर 385 रकबा 1.52 हैक्टेयर प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि है और अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है। प्रत्यर्थीगण स्वर्ण जाति के व्यक्ति होकर प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के उक्त संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

385 रकबा 1.52 हैक्टेयर कृषि भूमि के उत्तरी पूर्वी भाग 0.05 हैक्टेयर भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 01 ने नाजायज कब्जा कर लिया तथा इस आराजीयात के दक्षिणी पूर्वी कोने पर रकबा 0.07 हैक्टेयर कृषि भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 02 ने नाजायज कब्जा कर लिया जिसके संदर्भ में अपीलार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के यहां प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 5/18 निर्णय दिनांक 14.05.2018 द्वारा आदेश पारित किया गया कि उक्त भूमि के संदर्भ में पत्थरगढी की जावें जिसकी पालना में संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं संबंधित पटवारी ने मौके पर नपती कर पर्चा मौका बनाया जिसमें अपीलार्थीगण/ प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी नम्बर 385 के लगभग 0.05 हैक्टेयर भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 01 का कब्जा होना अंकित किया तथा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 183 'बी' में मौका एवं रिकार्ड की जांच हेतु पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट दिनांक 13.08.2020 प्रस्तुत की जिसमें भी प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी नम्बर 385 के 0.05 हैक्टेयर भू–भाग पर प्रत्यर्थी संख्या 01 बाबू लाल का नाजायज कब्जा होना एवं उक्त आराजीयात के 0.07 हैक्टेयर कृषि भूमि भू–भाग रकबा 0.07 हैक्टेयर पर प्रत्यर्थी हीरा लाल का अवैध कब्जा होना दर्शाया गया है इस प्रकार प्रत्यर्थीगण का प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 385 पर प्रत्यर्थीगण का उपरोक्त अंकित अनुसार नाजायज कब्जा होना पूर्णरूप से प्रमाणित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 183 'बी' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थीगण द्वारा यह स्पष्ट रूप से पर्याप्त साक्ष्य द्वारा प्रमाणित कराया गया कि प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के खातेदार होकर प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम अरनिया जोशी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 385 पर प्रत्यर्थी संख्या 01 बाबू लाल का 0.05 हैक्टेयर कृषि भूमि पर एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 का उक्त आराजी के 0.07 हैक्टेयर भू–भाग पर नाजायज कब्जा है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक की उक्त सभी रिपोर्ट्स मौका पर्चा रिपोर्ट को पूर्ण रूप से नजरअंदाज कर प्रार्थी/अपीलार्थीगण के उक्त प्रार्थना–पत्र को निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में यह कथन अंकित किया कि आराजी नम्बर 385 के अन्य सह खातेदारान द्वारा अतिक्रमियों से अतिक्रमण हटाये जाने संबंधी कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया इस संबंध में विधिक स्थिति यह है कि सह–खातेदारान की कृषि भूमि पर किसी भी अतिचारी का कब्जा हटाने हेतु किसी भी एक सह खातेदार द्वारा ऐसे अतिक्रमी व्यक्ति के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विभिन्न नजीरों में इस प्रकार का निर्देश प्रदान कर रखा है कि कोई भी एक खातेदार अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही कर सकता है। सभी खातेदार को पक्षकार बनने की आवश्यकता नहीं होती है। उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त को नजरदांज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहकर कि सभी सह–खातेदारान द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त निर्णय पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व आदेश में आराजी नम्बर 385 के किस भाग पर अतिक्रमियों का कब्जा होना प्रमाणित नहीं होना कथन किया है जबकि वास्तव में स्वयं तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से मंगायी गयी मौका पर्चा रिपोर्ट से प्रमाणित है कि उक्त प्रत्यर्थीगण अतिक्रमियों द्वारा प्रार्थीगण खातेदारान की आराजी नम्बर 385 पर प्रत्यर्थीगण का नाजायज कब्जा होना स्पष्ट रूप से अंकित किया तथा पत्थरगढी के समय बनायी गयी मौका पर्चा में भी प्रत्यर्थी का अपीलार्थीगण की भूमि पर नाजायज कब्जा होना स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 183 बी के कानूनी प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के खातेदारान की कृषि भूमियों पर अतिक्रमियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने का स्पष्ट कानूनी प्रावधान है तथा यह प्रक्रिया समरी ट्राइल में अत्यंत संक्षिप्त समय पर पूर्ण की जाकर अतिक्रमियों से कब्जा खातेदारान को दिलाये जाने का स्पष्ट कानूनी प्रावधान है तथा इस कानूनी प्रावधान की यह स्पष्ट मंशा है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के खातेदार की कृषि भूमियों के हितों को संरक्षित किये जाने हेतु बनाया गया है। इस महत्वपूर्ण बिन्दू पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया न ही विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किया जिससे अपीलार्थीगण को समय पर न्याय प्राप्त नहीं हो सका। इस कारण भी अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील माननीय न्यायालय में पेश है, अन्त में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक 25.06.2021 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थीगण की ग्राम अरनिया जोशी स्थित कृषि भूमि आराजी नम्बर 385 रकबा 1.52 हैक्टेयर में प्रत्यर्थी संख्या 01 के 0.05 हैक्टेयर अतिक्रमण को एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 के उक्त कृषि भूमि के 0.07 हैक्टेयर भू–भाग से अतिक्रमण हटाये जाने का आदेश प्रदान, फरमाया जावें, अन्य कोई सहायता जो अपीलार्थीगण के पक्ष में हो प्रदान फरमायी जावें।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया, एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण की और से उनके अधिवक्ता दिनांक 21.12.2021 को हाजिर जाये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 11.01.2022 को प्रत्यर्थीगण की और से जवाब अपील पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 26.04.2022 को प्रत्यर्थीगण की और से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 का पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 18.05.2022 को अपीलार्थी की और से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 26.09.2023 से प्रत्यर्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर दसतावेजात रिकार्ड पर लिये गये। तहसीलदार निम्बाहेडा के पत्रांक/राजस्व/202/1100 दिनांक 10.11.2021 से न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 001/2020 निर्णय दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.06.2021 अन्तर्गत धारा 183 'बी' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अनवानी लालचन्द वगैराह बनाम बालूलाल वगैराह प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है।

हस्तगत अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। दिनांक 26.09.2023 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आये एवं प्रकरण में बहस पत्रावली की गई। सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस पत्रावली में अपील मेमों वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि ग्राम अरनिया जोशी पटवार हल्का अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ की कृषि भूमि आराजी नम्बर 385 रकबा 1.52 हैक्टेयर प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि है और अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है। प्रत्यर्थीगण स्वर्ण जाति के व्यक्ति होकर प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के उक्त संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर 385 रकबा 1.52 हैक्टेयर कृषि भूमि के उत्तरी पूर्वी भाग 0.05 हैक्टेयर भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 01 ने नाजायज कब्जा कर लिया तथा इस आराजीयात के दक्षिणी पूर्वी कोने पर रकबा 0.07 हैक्टेयर कृषि भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 02 ने नाजायज कब्जा कर लिया जिसके संदर्भ में अपीलार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के यहां प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 5/18 निर्णय दिनांक 14.05.2018 द्वारा आदेश पारित किया गया कि उक्त भूमि के संदर्भ में पत्थरगढी की जावें जिसकी पालना में संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं संबंधित पटवारी ने मौके पर नपती कर पर्चा मौका बनाया जिसमें अपीलार्थीगण/ प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी नम्बर 385 के लगभग 0.05 हैक्टेयर भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 01 का कब्जा होना अंकित किया तथा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 183 'बी' में मौका एवं रिकार्ड की जांच हेतु पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट दिनांक 13.08.2020 प्रस्तुत की जिसमें भी प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी नम्बर 385 के 0.05 हैक्टेयर भू–भाग पर प्रत्यर्थी संख्या 01 बाबू लाल का नाजायज कब्जा होना एवं उक्त आराजीयात के 0.07 हैक्टेयर कृषि भूमि भू–भाग रकबा 0.07 हैक्टेयर पर प्रत्यर्थी हीरा लाल का अवैध कब्जा होना दर्शाया गया है इस प्रकार प्रत्यर्थीगण का प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 385 पर प्रत्यर्थीगण का उपरोक्त अंकित अनुसार नाजायज कब्जा होना पूर्णरूप से प्रमाणित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 183 'बी' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थीगण द्वारा यह स्पष्ट रूप से पर्याप्त साक्ष्य द्वारा प्रमाणित कराया गया कि प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के खातेदार होकर प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम अरनिया जोशी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 385 पर प्रत्यर्थी संख्या 01 बाबू लाल का 0.05 हैक्टेयर कृषि भूमि पर एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 का उक्त आराजी के 0.07 हैक्टेयर भू–भाग पर नाजायज कब्जा है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक की उक्त सभी रिपोर्ट्स मौका पर्चा रिपोर्ट को पूर्ण रूप से नजरअंदाज कर प्रार्थी/अपीलार्थीगण के उक्त प्रार्थना–पत्र को निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी मौखिक बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थीगण/अपीलाण्ट्स ने बिल्कुल झुठे आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत निर्णय पारित करने के बावजूद भी बिल्कुल झुठी अपील माननीय न्यायालय आप में प्रस्तुत की है जो खारीज किये जाने योग्य है। अपील में वर्णित संपूर्ण कथन गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण/अपीलाण्ट्स डालचंद एवं लालचंद रेस्पोडेंट से नाजायज द्वेषता रखते है, तथा अपीलाण्ट्स संख्या 2 डालचंद पुलिस विभाग में कार्यरत होने से रेस्पोडेंट को जबरन जलील एवं परेशान करना चाहता है, रेस्पोडेंट ग्रामीण परिवेश के सद्भाविक कृषक है। वादीगण/अपीलाण्ट हाल आराजी नंबर 385, 388, 389 आदि के साबिक आराजी नंबर 263 थे जो कि काफी बड़ा भू–भाग था, वादीगण को उक्त तथाकथित आराजी का आवंटन किया गया था तथा वादीगण का कब्जा काश्त पश्चिम दिशा में अवस्थित नहर से लगता हुआ होकर मौके पर वर्तमान में राजी खुशी काश्त करते चले आ रहे है, अर्थात मौके पर वादीगण के पास वर्तमान में कुलिया 1.52 हेक्टेयर से भी ज्यादा रकबे पर कब्जा काश्त इसी प्रकार साबिक आराजी नंबर 263 में अवस्थित श्मशान के पास रेस्पोडेंट के बाप दादाओं के समय से बाड़े बने हुए होकर होकर मौके पर नलकूप लगा हुआ है एवं रेस्पोडेंट के मवेशी बंधते है तथा घासफुस रखी हुई है। उपरोक्त नलकूप का पानी शुरू से ही श्मशान में भी काम आता चला आ रहा है। भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान जो नवीन नंबर आराजी नंबर 385 कायम किया जो कि रेस्पोडेंट के कब्जे वाले बाड़े की भूमि के भू–भाग के कायम किये गए है, वर्तमान में केवल ओर केवल उक्त नवीन नंबर नाला के जुडमां राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर कायम कर दिये जाने से अपीलाण्ट रेस्पोडेंट को जबरन परेशान करने पर आमादा है तथा अपीलाण्ट कानून का दुरूपयोग करके माननीय न्यायालय के समक्ष झुठे तथ्य अंकित करके माननीय न्यायालय को गुमराह करके रेस्पोडेंट को परेशान करना चाहता है जबकि अन्य सह–खातेदारान को कोई उजर एतराज नहीं होकर सभी पक्ष शुरू से ही राजी खुशी काबिज होकर अपने–अपने भू–भाग का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वर्तमान आराजी नंबर 385 के पूर्वी दिशा में जुडमां आराजी, आराजी नंबर 383, 384 रेस्पोडेंट हीरालाल धाकड के एवं आराजी नंबर 385 तथा नाले से जुडमां आराजी नंबर 374, 377 आदि रेस्पोडेंट बाबुलाल चारण के खातेदारी की कृषि आराजीयात अवस्थित है, रेस्पोडेंट का बाप–दादाओं के जीवन काल से ही कब्जा–काश्त होकर मौके पर बाडे की पक्की दीवार बनी हुई है। प्रार्थीगण/अपीलाण्ट्स की आवंटन शुदा कब्जे काश्त की आराजीयात के पूर्वी दिशा में एवं रेस्पोडेंट के उक्त बाड़े के पश्चिम दिशा में मौके पर कदिमी रास्ता बना हुआ है, जिसका वर्षो से ग्रामवासी उपयोग उपभोग करते है। उक्त रास्ता श्मशान के पश्चिम दिशा में जुडमां रास्ता है जिसका सभी ग्रामवासी उपयोग उपभोग करते है तथा उक्त रास्ता दोनों तरफ की आबादी को जोड़ता है। केवल राजस्व नक्शे में गलत तरमीम हो जाने के कारण अपीलाण्ट वर्तमान राजस्व नक्शें की त्रुटिपूर्ण वस्तुस्थिति के अनुसार द्वेषतावश कार्यवाही करवाना चाहते है जबकि मौके पर कोई झगडा एवं रकबे में कमी नही है, सभी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ग्रामवासी भी सेटलमेंट की त्रुटि को सुधरवाना चाहते है, वर्तमान में दिनांक 06.09.2020 को ग्राम पंचायत अरनियां जोशी द्वारा भी पेमाइश के दौरान हुई उक्त त्रुटि को सुधरवाने के लिए ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लेकर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी साहब निम्बाहेडा के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया एवं ग्रामवासीयान द्वारा भी पूर्व में तथा वर्तमान में राजस्व शिविर में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जिसकी कार्यवाही वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि की फोटो प्रति जवाब के साथ प्रस्तुत है। प्रकरण में आराजी नंबर 385 के सभी खातेदार आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी अपीलाण्ट ने अपीलीय न्यायालय में भी उक्त पक्षकारों को पक्षकार कायम नहीं किया है जिससे अपीलाण्ट का द्वेषतापूर्ण आशय स्पष्ट से प्रतीत होता है, माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर (Very Clear and Specific) आदेश पारित किया एवं न्यायालय द्वारा प्रोपर फाइण्डिंग दी गई है उसके बावजूद झुठे आधारों पर यह अपील पेश की गई है, पत्थरगढी के पर्चा मौका में रेस्पोंडेंट संख्या 2 का कहीं कोई कब्जा नही पाया गया है, जबकि कब्जेयाबी के दावे में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में कब्जा होना बताया गया है, जो कि दोनों कथन विरोधाभासी है, अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र एवं उक्त अपील में वर्णित तथ्यों के अनुसार आराजी नंबर 385 के किस भू–भाग पर रेस्पोडेंट का कब्जा है यह स्पष्ट नहीं है, ना ही वर्तमान बटा नंबरों के आधार पर अपीलाण्ट ने संपूर्ण वस्तुस्थिति का खुलासा किया है। माननीय न्यायालय सेटेलाइट नक्शे के अनुसार भी मौका की रिपोर्ट का अवलोकन करना चाहे तो भी वास्तविक स्थिति श्रीमान के समक्ष आ जाएगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेवेन्यू एजेंसी एवं स्वयं द्वारा मौके की संपूर्ण वस्तु स्थिति का निरीक्षण करने के पश्चात् न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए की भावना को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत् आदेश पारित किया है। वादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है लेकिन सक्षम व्यक्ति होकर राजकीय सेवा में होकर राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है, जबकि रेस्पोडेंट भी अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य होकर ग्रामीण परिवेश के गरीब कृषक है, न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर पत्रावली पर आयी संपूर्ण साक्ष्य एवं दस्तावेज को ध्यान में रखते हुए, अतः प्रार्थना है कि जवाब रेस्पोडेंट स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मय हर्जे खर्चे खारीज फरमायी जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में यह कथन अंकित किया कि आराजी नम्बर 385 के अन्य सह खातेदारान द्वारा अतिक्रमियों से अतिक्रमण हटाये जाने संबंधी कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया इस संबंध में विधिक स्थिति यह है कि सह–खातेदारान की कृषि भूमि पर किसी भी अतिचारी का कब्जा हटाने हेतु किसी भी एक सह खातेदार द्वारा ऐसे अतिक्रमी व्यक्ति के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विभिन्न नजीरों में इस प्रकार का निर्देश प्रदान कर रखा है कि कोई भी एक खातेदार अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही कर सकता है। सभी खातेदार को पक्षकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनने की आवश्यकता नहीं होती है। उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त को नजरदांज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहकर कि सभी सह–खातेदारान द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त निर्णय पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व आदेश में आराजी नम्बर 385 के किस भाग पर अतिक्रमियों का कब्जा होना प्रमाणित नहीं होना कथन किया है जबकि वास्तव में स्वयं तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से मंगायी गयी मौका पर्चा रिपोर्ट से प्रमाणित है कि उक्त प्रत्यर्थीगण अतिक्रमियों द्वारा प्रार्थीगण खातेदारान की आराजी नम्बर 385 पर प्रत्यर्थीगण का नाजायज कब्जा होना स्पष्ट रूप से अंकित किया तथा पत्थरगढी के समय बनायी गयी मौका पर्चा में भी प्रत्यर्थी का अपीलार्थीगण की भूमि पर नाजायज कब्जा होना स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 183 बी के कानूनी प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के खातेदारान की कृषि भूमियों पर अतिक्रमियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने का स्पष्ट कानूनी प्रावधान है तथा यह प्रक्रिया समरी ट्राइल में अत्यंत संक्षिप्त समय पर पूर्ण की जाकर अतिक्रमियों से कब्जा खातेदारान को दिलाये जाने का स्पष्ट कानूनी प्रावधान है तथा इस कानूनी प्रावधान की यह स्पष्ट मंशा है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के खातेदार की कृषि भूमियों के हितों को संरक्षित किये जाने हेतु बनाया गया है। इस महत्वपूर्ण बिन्दू पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया न ही विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किया जिससे अपीलार्थीगण को समय पर न्याय प्राप्त नहीं हो सका। इस कारण भी अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील माननीय न्यायालय में पेश है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक 25.06.2021 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थीगण की ग्राम अरनिया जोशी स्थित कृषि भूमि आराजी नम्बर 385 रकबा 1.52 हैक्टेयर में प्रत्यर्थी संख्या 01 के 0.05 हैक्टेयर अतिक्रमण को एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 के उक्त कृषि भूमि के 0.07 हैक्टेयर भू–भाग से अतिक्रमण हटाये जाने का आदेश प्रदान, फरमाया जावें, अन्य कोई सहायता जो अपीलार्थीगण के पक्ष में हो प्रदान फरमायी जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2014(1)** पेज संख्या 658 अनवानी श्रीकिशन बनाम हरबक्ष, **RRT 2014(2)** पेज संख्या 1063 अनवानी उगमसिंह बनाम सरकार, **RRT 2014(2)** पेज संख्या 1444 अनवानी पूर्णाराम बनाम संपतराम एवं **RRT 2016-17(Supp.)** पेज संख्या 595 अनवानी अतरसिंह बनाम राजस्व मण्डल पेश किये एवं न्यायिक दृष्टांत पर दृष्टिपात कराया एवं निवेदन किया कि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्च आदेश से विधिक निर्णय पारित किये जाने में भूल/त्रुटि कारित की गई है जिस से अपील अपीलार्थी स्वीकार किए जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ''**<u>क्या अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 001/2020 निर्णय दिनांक 25.06.2021 में किसी प्रकार से विधिक भूल/त्रुटि कारित की गई है?, यदि हॉ तो उचित निर्णय क्या होगा?</u>**''

हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। प्रश्नगत आराजीयात के खातेदार जाति से नायक है जिस तथ्य को उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। अपीलार्थी जाति से नायक होकर राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति सूची अनुसार अनुसूचित वर्ग में आते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण इस न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता को बिन्दु पर पोषणीय पाया जाता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का कथन है कि अधिनियम, 1955 में संशोधन करके धारा 183–बी 1978 में उक्त अधिनियम में जोड़ी गयी है। इस सम्बन्ध में धारा 183–बी अधिनियम, 1955 का अवलोकन करना उचित रहेगा, जो निम्न प्रकार हैः–

**183B. Summary ejectment of trespasser of the land held by a member of a scheduled caste or a scheduled tribe—**

(1) Notwithstanding to the contrary contained in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession, without lawful authority of land held by a tenant belonging to scheduled caste or scheduled tribe shall be liable to ejectment on an application of the person or persons entitled to evict him or on the application, in the prescribed manner; of a further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifty times the annual rent.

(2) The inquiry on an application under sub-section (1) shall be made in a summary manner and shall be concluded, as far as practicable, within the prescribed period and after affording a reasonable opportunity of being heard to the person alleged to be a trespasser.

उक्त धारा 183–बी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में 1978 में जोड़े जाने की पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि पहले सभी श्रेणी के खातेदारान द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा अधिनियम, 1955 की धारा 183 में ही लाया जाता था। 1970 से पहले उक्त धारा 183 के प्रावधान अनुसार अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा वह व्यक्ति ला सकता था, जो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऐसे अतिक्रमी को बतौर कृषक स्वीकार करने हेतु अधिकृत (person or persons entitled to admit trespasser as tenant) था। 1970 में उमा बनाम कजोड़ के प्रकरण (1970 RRD 387) में राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रतिबन्धात्मक प्रावधानों के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी खातेदार कृषक किसी भी गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को अपनी खातेदारी की भूमि पर बतौर कृषक स्वीकार करने के लिये अधिकृत नहीं है, इस कारण वह ऐसे अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा भी नहीं ला सकता है। इससे होने वाली कठिनाई के निराकरण हेतु 1970 में धारा 183 में संशोधन करके शब्दावली "entitled to admit" को विलोपित कर शब्दावली "entitled to eject" प्रतिस्थापित की गयी। बाद में अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारान को अतिक्रमियों से त्वरित राहत दिलाने के प्रयोजन से नवीन धारा 183–बी जोड़ी गयी। धारा 183–बी के अन्तर्गत बेदखली का आवेदन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता था, जो अतिचारी को बेदखल करने के हकदार हैं। इसमें भी कठिनाइयां महसूस की गयी, क्योंकि कभी कभी प्रभावशाली अतिचारी के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति बेदखली हेतु आवेदन नहीं कर पाता था। अतः प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिये वर्ष 1989 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि कोई भी लोक सेवक, जिसे राज्य सरकार इस हेतु अधिकृत करे, विहित तरीके से धारा 183–बी के अन्तर्गत आवेदन कर सकेगा। अधिसूचना दिनांक 05.06.1989 द्वारा समस्त गिरदावर, पटवारी, सरपंच व ग्राम–सेवक को इस प्रयोजनार्थ अधिकृत किया गया है। इस प्रकार धारा 183–बी का वर्तमान स्वरुप वस्तुतः अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारान के हितों की रक्षा हेतु सामाजिक–आर्थिक सुधारों के प्रति राज्य सकार की वचनबद्धता का परिणाम है। किसी भी लोक सेवक से यह अपेक्षित है कि कल्याणकारी शासन के सामाजिक सरोकार की मंशा के अनुरुप संवेदनशीलता के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति की खातेदारी की भूमि को अतिचारियों से मुक्त करायेगा।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी निर्विवाद रुप से अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जिसकी अभिलिखित खातेदारी की भूमि पर प्रत्यर्थी/अप्रार्थीगण काबिज है और उनके पास उक्त भूमि पर काबिज रहने का कोई विधिक अधिकार (lawful authority) नहीं है। इसके साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थीगण का कथन है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने निर्णय दिनांक 25.06.2021 में प्रत्यर्थी को अतिक्रमी नहीं माना है किन्तु धारा 5(44) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में परिभाषित अतिक्रमी में अपीलार्थीगण नहीं आतें है। धारा 5(44) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में अतिक्रमी को निम्नानुसार परिभाषित किया है :–

**(44)"Trespasser" shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा की पत्रावली में पटवार हल्का अरनिया जोशी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 13.08.2020 के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम अरनिया जोशी के उक्त आराजी संख्या 385 के उत्तरी पूर्वी भाग पर बाबुलाल पिता मोतीलाल चारण का 0.05 हैक्टेयर पर कब्जा है, आराजी संख्या 385 के दक्षिणी पूर्वी भू–भाग पर हीरालाल पिता भंवरलाल धाकड का 0.07 हैक्टेयर पर कब्जा है। अपीलार्थी की खातेदारी आराजीयात है। इसके साथ ही पर्चा मौका दिनांक 23.06.2019 को पत्थरगढी की गई जिसमें में कोई कब्जा होना पाया गया हैं। जबकि अपीलार्थी द्वारा अवने आवेदन दिनांक 03.06.2020 में विपक्षीगण द्वारा जबरन कब्जा प्राप्त किये जाने का निवेदन किया गया है। हल्का पटवारी इस संबंध में किसी भी प्रकार का मौके की स्थिति एवं पर्चा मौका तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पत्थरगढी पर्चा मौका दिनांक 23.06.2019 का अवलोकन किया। पर्चा मौका दिनांक 23.06.2019 में अंकित किया गया है कि किसी के कब्जे में दखल अंदाजी नहीं की गई, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा उक्त प्रकरण में इस महत्वपूर्ण की पूर्णतया अनदेखी की गई है, क्योंकि उक्त प्रकरण में कब्जे का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य परिलक्षित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण को हस्तगत प्रकरण में पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जबकि विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसरण में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहियें। इसके साथ ही प्रत्यर्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा दुरूस्ती के तथ्य उठाये गये है। इस संबंध में हमार ठोस अभिमत है कि हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की सुनवाई में इन्द्राज दुरूस्ती के तथ्यों को देखना उचित नहीं है, इस संबंध में वर्तमान राजस्व रेकार्ड ही अधिभावी होगा, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभर कर आता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा उक्त प्रकरण में पूर्ण सुनवाई एवं उभयपक्ष का समुचित साक्ष्य के अवसर प्रदान नहीं किये जाकर निर्णय पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार जहां अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.06.2021 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 001/2020 निर्णय दिनांक 25.06.2021 में विधिक भूल/त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने से हमारा अभिमत है कि उक्त प्रकरण में उभय पक्षकारान को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण तहसीलदार निम्बाहेडा को प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है,।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हस्तगत अपील अपीलार्थीगण अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 001/2020 अनवानी लालचन्द वगैराह बनाम बाबुलाल वगैराह अन्तर्गत धारा 183 'बी' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित **(Remand)** किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौजा अरनिया जोशी की आराजी संख्या 385 का भौतिक रूप से निरीक्षण उभयपक्षकारान की उपस्थिति में वर्तमान राजस्व रेकार्ड से मिलान कर पत्रावली पर सुमचित कार्यवाही करते हुऐ उभयपक्षकारान का विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में समुचित साक्ष्य/सुनवाई का अवसर देते हुऐ विश्लेषण किये गये तथ्यों के अनुसरण में विधिक निर्णय अज–सर्रे नव निर्णय पारित किया जावें। इसके साथ ही उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान दिनांक **20.11.2023** को तहसीलदार निम्बाहेडा के समक्ष उपस्थित रहे।

पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के भिजवाया जावे एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को निर्णय की प्रति वास्ते सूचनार्थ भिजवाई जावे। तद्नुसार अभिलेखों में अंकन किया जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **26.09.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official